तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चन्द्रशेखर चौहान बनाम लो.सू.अ. (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी–सूरसागर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 67/ 2019	
03.06.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चन्द्रशेखर चौहान पुत्र श्याम सुन्दर चौहान पता सदर बाजार, महामंदिर जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.02.2019 में उसके द्वारा (1) सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के मतदाता सोहनलाल पुत्र मुन्नालाल (TGW/1723584), शैलेन्द्र पुत्र मोहनलाल TGW/1723600) महेश पुत्र सोहनलाल TGW/1723618) का नाम सूरसागर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में जोड़ने की दिनांक व जोड़ने का आधार बतावे एवं जोड़ने के लिए की गई कार्यवाही का भी विवरण व दो बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी–सूरसागर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी–सूरसागर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से जरिये सूचनार्थ पत्रांक 13067 दिनांक 27.05.19 प्राप्त हुआ। लोक सूचना अधिकारी के उक्त पत्र से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को अपील दायर करने के पश्चात् सूचना प्रेषित की गई है जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर निर्धारित अवधि में कार्यवाही की जावे। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपलार्थी इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	